

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number: 66dd17a36aa6e60ea38f

Receipt Date: 11-Apr-2021 04:32:22 pm

Receipt Amount: 100/-

Amount In Words: One Hundred Rupees Only

Document Type: Partition District Name : Deoghar

Stamp Duty Paid By: FIRST PARTY

Purpose of stamp duty paid: FAMILY PARTITION

First Party Name: SURENDRA KALBALIA

Second Party Name: MANOJ KALBALIA AND OTHERS

GRN Number: 2105492603

-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-


Surendra Kalbalia Marer Kalbali S. K. Kalbali L.




This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

Vol. No. 30 1027





पारिवारिक व्यवस्था-पत्र सह बंटवारानामा-पत्र

यह परिवारिक व्यवस्था—पत्र सह बंटवारानामा—पत्र आज दिनांक क्षेत्रल 2021 ई० को (1) श्री सुरेन्द्र कुमार कलबिलया, उम्र—56 वर्ष, पिता स्व० शिवराम कलबिलया, जाति—अग्रवाल, धर्म—हिन्दु, पेशा—व्यवसाय वो बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, साकिन:—मुहल्लाः एच० सी० घोष रोड, मौजा—मधुपुर बाजार, थाना नं0—269, मधुपुर नगर पर्षद वार्ड नं0ः 13, थाना वो सबडिविजन वो सबरिजस्ट्री — मधुपुर, जिला — देवघर (झारखंड), जो यहाँ नीचे वर्णित पैतृक बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, अंशदार एवं सक्षम निष्पादनकर्त्ता आदि है, आगे कहलायेगाः— लेख्यकारी/प्रथम पक्ष.

आधार नं0-4079 0044 7057

एव

(2) श्री मनोज कलबिलया, उम्र—51 वर्ष, पिता स्व0 शिवराम कलबिलया, जाति—अंग्रवाल, धर्म—हिन्दु, पेशा—व्यवसाय वो बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, साकिनः मुहल्लाः एच० सी० घोष रोड, मौजा मधुपुर बाजार, थाना नं० 209, मधुपुर नमर पर्षद वार्ड नं०ः 13, थाना वो सबडिविजन वो सबरिजस्ट्री — मधुपुर, जिला — देवघर (झारखंड), जो यहाँ नीचे वर्णित पैतृक बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, अंशदार एवं सक्षम निष्पादनकर्त्ता आदि है, आगे कहलायेगाः— लेख्यधारी / द्वितीय पक्ष.

आधार नं0-4804 0691 4255



Sixingly mad bally

(3) श्री सुनील कुमार कलबिलया, उम्र—46 वर्ष, पिता स्व० शिवराम कलबिलया, जाति—अग्रवाल, धर्म—हिन्दु, पेशा—व्यवसाय वो बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, साकिन:—मुहल्लाः एच० सी० घोष रोड, मौजा—मधुपुर बाजार, थाना नं०—269, मधुपुर नगर पर्षद वार्ड नं०ः 13, थाना वो सबडिविजन वो सबरिजस्ट्री — मधुपुर, जिला — देवघर (झारखंड), जो यहाँ नीचे वर्णित पैतृक बसौड़ी जमीन मकानादि का मालिक, अंशदार एवं सक्षम निष्पादनकर्त्ता आदि है, आगे कहलायेगाः— लेख्यधारी/द्वितीय पक्ष.

आधार नं0-6310 7465 8677

लेख्यप्रकार :- पारिवारिक व्यवस्था-सह पंचनामा बंटवारानामा-पत्र।

(नोट:-इस परिवारिक व्यवस्था-पत्र सह बंटवारानामा-पत्र में शामिल बसौड़ी जमीन मकानादि को कुल 3 भागों में बंटवारा किया गया है, जो शामिल मौजा-मधुपुर बाजार, मौजा नं0-269 का हिस्सा उभयपक्षों को जिसे कमशः अनुसूची- "A", अनुसूची- "C" में दर्शाया गया है)।

लेख्य विवरण जायदाद :- मौजा : मधुपुर बाजार, मौजा/थाना नं0-269 होल्डिंग न0-0080000/28000 भा, थोका नं0-31, मधुपुर पर्षद वार्ड नं. 13, पैतृक बसौड़ी सत्व की नीज जमीन वो उसपर बना हुआ पक्का मकानादि जिसे एक सम्मिलित मिताक्षरा हिन्दु संयुक्त के रूप में रहते हुए उभयपक्ष अपने पिता के जीवनकाल से ही आपस में सहोदर भाई अपने अपने परिवार सहित शांतिपूर्ण ढंग से भोगवान व दखलवान है। उल्लेखनीय हो कि उपरोक्त वर्णित जायदाद उभयपक्षों के दादा रामेश्वरलाल

In Kalklig

कलबित्या द्वारा निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित केवाला दलील Book No. I, Volume No. I Pages 129 to 132, Being No. 2.3 for the year 1929 dated 23.01.1929 Registered at Sub-Registry Office-Deoghar से खरीदकर दखलकार हुए, उनके स्वर्गवास के बाद उभयपक्षों के पिता ने अपने भाई के साथ पारिवारिक बंटवारा में हिस्सा प्राप्त होने पर उपरोक्त जायदाद में एकाएक दखलकार हुए।

विदित् हो कि उपरोक्त प्रथम पक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार कलबित्या, द्वितीय पक्ष श्री मनोज कलबित्या वो तृतीय पक्ष श्री सुनील कुमार कलबित्या तीनों पिता स्व0 शिवराम कलबित्या के पुत्रगण / वंशज में हैं।

चूँिक उपरोक्त उभयपक्षों का अपना—अपना परिवार बड़ा हो जाने के कारण एवं व्यवसाय के सिलिसले में अपनी—अपनी सुविधानुसार उपरोक्त वर्णित पैतृक मकानादि में रहते हुए अपना—अपना व्यवसाय वगैरह कर रहें हैं।

उपरोक्त वर्णित जायदाद का मधुपुर नगरपालिका कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के राजस्व सिरिस्ता में टैक्स एवं लगान का अदाय संयुक्त रूप से करते हुए रसीद प्राप्त करते रहें हैं, इस तरह उपरोक्त वर्णित जायदाद को उभयपक्ष निर्विवाद रूप से वास्तविक दखलकार रहते हुए उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक कानूनी हक प्राप्त कर चुके हैं। Limbre Kalbell's atthe Health of the delice of the theory of the theory

वर्त्तमान में उपरोक्त लेख्यकारी प्रथम पक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार कलबलिया उम्रदराज हो जानें से अपने बाल बच्चों तथा अपने दोनों छोटे भाईयों सहित उनके परिवार के सभी सदस्यों की निरंतर भलाई वास्ते, काफी सोच विचार कर अपने जिन्दगी में ही अपने एवं उपरोक्त द्वितीय एवं तृतीय पक्ष के मध्य उपरवर्णित पैतृक बसौड़ी जायदाद, को आपस में मिल बांट कर अपने निकट मित्रों एवं पंचों के सलाह से उपरोक्त वर्णित जायदाद का आपसी पारिवारिक पंचनामा बंटवारा पंचगणों उपस्थिति में अपने अधिवक्ता से मजबून बनवाकर एवं टंकित करवाकर कुल 3 हिस्सें में बंटवारा कर दिये, इसके लिये नीचे तल पूरब दिशा में 5 फीट चौड़ा कॉमन पैसेज मार्का—B एवं मार्का—C तक सुविधानुसार रखा गया है, उपरोक्त कॉमन पैसेज को कवर करते हुए कुल 20 फीट चौड़ी निर्माण कार्य उभयपक्षों द्वारा किया जायेगा, तथा मार्का—A का निकास दक्षिण तरफ एच. सी. मुखर्जी रोड निकलने के लिये सुविधा है इसलिये मार्का—A के हिस्से में पूरब तरफ का कॉमन रास्ता की सुविधा नहीं होगा, मार्का—A को प्रथम तल में निर्माण के लिये 20' ग 30' की सुविधा होगी, इस संबंध में मार्का-B एवं मार्का—C वाले दोनों भाईयों को भविष्य में किसी प्रकार का आपत्ति नहीं होगा, तथा उभयपक्षों के बीच भविष्य में सदा के लिए शांतिपूर्ण माहौल एवं आपसी प्रेम व भाईचारा कायम रह सके, भविष्य में सभी फरीकेन अपने स्तर से अलग-अलग रोजगार-व्यवसाय करते रहें एवं सभी वारिसानों में एकता कायम रह सकें। इसी उद्देश्य से यह दस्तावेज पारिवारिक व्यवस्थापत्र सह बंटवारानामा घोषणा पत्र अपने होशो-हवास में तथा स्वस्थ मन वो तवीयत में रहते हुए

Hanet talkally six. Wollow

सलाहकार से सलाह कर एवं परिवार के सभी सदस्यों के मशविरा से सम्पादित किया गया जो वक्त जरुरत काम आ सके।


उपरोक्त मजबून को उभयपक्षों द्वारा अच्छी तरह पढ़ वो पढ़वाकर सुन वो समझ लिये एवं अपने इच्छा वो अपने बयान के अनुसार सही लिखा पाकर इस पारिवारिक व्यवस्था—पत्र सह बंटवारानामा—पत्र ट्रेस नक्शा में अलग अलग रंग यानी लाल, हरा व नीला रंग में चिन्हित कर अपना—अपना फाटोयुक्त हस्ताक्षर बना दिया, जो वक्त जरूरत काम आवे।

<u>अनुसूची -"A"</u> प्रथम पक्षः श्री सुरेन्द्र कुमार कलबलिया का हिस्सा

मधुपुर टाउन अन्तर्गत मौजा : मधुपुर बाजार, मौजा / थाना नं0—269 होल्डिंग न0— ठ० ८०००। २८००० में , थोका नं0—31, मधुपुर पर्षद वार्ड नं. 13, पैतृक बसौड़ी सत्व की नीज जमीन वो उसपर बना हुआ पक्का मकानादि जो ट्रेस नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ है, जिसे प्रथम पक्ष के हिस्से में रहा, जिसकी चौहदी:—

उत्तर:-मार्का-B मनोज कलबिलया का हिस्सा, इधर की चौड़ाई: 15'-00" दक्षिण:-एच0 सी0 घोष रोड, इधर की चौड़ाई: 15'-00" पूरब:- 5'-00" चौड़ा कॉमन पैसेज सिर्फ मार्का B एवं C के लिये इधर की लम्बाई: 30'-00"

पश्चिम:- डॉ० बी० पी० गुप्ता का मकान, इधर की लम्बाई: 30'-00"



अनुसूची —"B" द्वितीय पक्षः श्री मनोज कलबलिया का हिस्सा

मधुपुर टाउन अन्तर्गत मौजा : मधुपुर बाजार, मौजा / थाना नं0—269 होल्डिंग न0—260 होल्डिंग न0—260 होल्डिंग नं0—31, मधुपुर पर्षद वार्ड नं. 13, पैतृक बसौड़ी सत्व की नीज जमीन वो उसपर बना हुआ पक्का मकानादि जो ट्रेस नक्शा में हरा रंग से रंगा हुआ है, जिसे द्वितीय पक्ष के हिस्से में रहा, जिसकी चौहदी:—

उत्तर:-मार्का-C सुनील कु0 कलबिलया का हिस्सा, इधर की चौड़ाई: 15'-00" दक्षिण:- मार्का-A सुरेन्द्र कु0 कलबिलया का हिस्सा, इधर की चौड़ाई: 15'-00" पूरब:- 5'-00" चौड़ा कॉमन पैसेज, सिर्फ मार्का B एवं C के लिये इधर की लम्बाई: 30'-00"

पश्चिम:— डॉंंं बींंं पींं गुप्ता का मकान, इधर की लम्बाई: 30'-00''.


अनुसूची —"C" द्वितीय पक्षः श्री सुनील कुमार कलबलिया का हिस्सा

मधुपुर टाउन अन्तर्गत मौजा: मधुपुर बाजार, मौजा/थाना नं0—269 होल्डिंग न0—10-128000 म।, थोका नं0—31, मधुपुर पर्षद वार्ड नं. 13, पैतृक बसौड़ी सत्व की नीज जमीन वो उसपर बना हुआ पक्का मकानादि जो ट्रेस नक्शा में नीला रंग से रंगा हुआ है, जिसे तृतीय पक्ष के हिस्से में रहा, जिसकी चौहदी:—

उत्तर:- म्युनिसपल ड्रैन, इधर की चौड़ाई: 20'-00"

दक्षिण:— मार्का—B मनोज कलबलिया का हिस्सा, एवं 5'—00'' चौड़ा कॉमन पैसेज इधर की चौड़ाई: 15'—00''





अब उभयपक्ष अपने पैतृक जायदाद के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलवान होकर मय अपने पुत्र-पौत्रादि वारिसान व स्थालाभिषिक्तगण कम से भोग दखल, दान, बिकी, मौरगेज व हस्तान्तरादि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करते रहें, इसमें उभयपक्ष मय वारिसान को किसी भी पक्षों के विरुद्ध किसी तरह का उज्र एतराज नहीं होगा न कोई कर सकेगा, अगर कोई करे तो वह सरे अदालत नाजायज व वातिल होगा ।

एतदर्थ अपने वहोश-बहाल तवीयत में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकाव के परिवारिक व्यवस्था-पत्र सह बंटवारानामा-पत्र लिख दिया जो समय जरूरी काम आवे इति तारीखः 10707/2021

गवाहन:-

- अनरवण क्रामीन्याः stim-white

_ Sorandra Kalbara लेख्यकारी / प्रथम पक्ष.

> Manoi Kelbelia लेख्यधारी / द्वितीय पक्ष.

s. K. Kalbalin लेख्यधारी / तृतीय पक्ष.

सरिता कुमारी, अधिवक्ता, मधुपुर कोर्ट. (SUNIL KUMAR NO IARY प्रारुप तैयार किया 10-7-2021

